कार्यवृत्त

सोमवार, 28 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक 17 फरवरी, 2014 ई0)

खण्ड-38
अंक-9

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष ने नियम-271 की सूचना देते हुए सूचित किया कि ''यह सदन मंत्रिमण्डल में अविश्वास प्रकट करता है।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम-271 के अन्तर्गत जो सूचना 10 बजकर 58 मिनट पर दी गई है वह संसदीय प्रक्रियानुसार एवं नियमानुसार सदन की बैठक आरम्भ होने से एक घण्टा पूर्व दी जानी जाहिए थी अतः वे इसे अग्राह्य करते है।

तारांकित प्रश्न सं0 02 के उत्तर से सन्तुष्ट न होने पर माननीय सदस्य के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने सरकार को निर्देशित किया कि सरकार सम्बन्धित मामले की जॉच विजिलेंस के द्वारा कराये।

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने नियम-271 के अन्तर्गत जो अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है जो विलम्ब से प्राप्त हुई है पर प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली व संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया में कही पर यह नही है कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद उसको किस रूप में अग्राह्य किया जाय उन्होंने संसदीय प्रक्रियानुसार अगले दिन लिए जाने हेतु अनुरोध किया। जिस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे कल दिनांक 18 फरवरी, 2014 को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर विचार कर लेंगे।

आज नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त 10 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 06 सूचनाएं स्वीकृत हुई जिनमें से श्री मदन कौशिक, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री प्रेम सिंह राणा एवं श्री महावीर सिंह, सदस्य विधान सभा की सूचना पढ़ी हुई मानी गयी तथा शेष सूचनाएं सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः-

1. श्री माल चन्द	''विधान सभा क्षेत्र पुरोला के वि0ख0 मोरी अन्तर्गत सांकरी तालुका ओसला मोटर मार्ग निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि गोविन्द वन्य जीव पशु विहार पुरोला को स्थानान्तरित कर मोटर मार्ग निर्माण की मांग के संबंध में।''
2. श्री दान सिंह भण्डारी	''विधान सभा क्षेत्र भीमताल में पेयजल योजनाओं का निर्माण न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।''
3. श्री मदन कौशिक	''प्रदेश में आई भीषण आपदा के बाद सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार व्यवसायिक वाहनों का रोड टैक्स व बैंक ब्याज माफ करने के आदेश सरकार द्वारा अभी तक नहीं किये जाने से लोगों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।''
4. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	''विधान सभा क्षेत्र सल्ट के स्यालदे विकास खण्ड के पालपुर, कहड़गांव व बैरतिया में वर्ष 2011 से स्वीकृत झूला पुलों का निर्माण अभी तक न किये जाने के संबंध में।''
5. श्री प्रेम सिंह राणा	''नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरंकीडाडी के तोक पीपल गोला नाला में रापटा निर्माण की मांग के सम्बन्ध में।''
6. श्रीमती विजय बड़थ्वाल	''प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रफल वनभूमि के समीप होने के कारण विकास के विभिन्न कार्यो हेतु वन विभाग की स्वीकृति लम्बे समय तक लम्बित होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में''
7. श्री महावीर सिंह	''जनपद टिहरी गढ़वाल के वि0ख0 जौनपुर के कैम्पटी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांव की विद्युत व्यवस्था क्यार कुली से हटाकर नैनबाग से करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट एवं माननीय सदस्य, श्री मदन कौशिक, श्री चन्दन राम दास, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री भीम लाल आर्य, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री संजय गुप्ता, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री यतीश्वरानन्द, श्रीमती विजय वड़थ्वाल, श्री गणेश जोशी, श्री अजय टम्टा, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री दलीप सिंह रावत एवं श्री माल चन्द की है, जो देहरादून महा योजना 2005-25 के अन्तर्गत सिटी पार्क के रूप में आरक्षित जमीन को मास्टर प्लान आने के बाद कोमर्शियल घोषित कर, जमीन की सरकार द्वारा अनदेखी किये जाने तथा जमीन को खुर्द-बुर्द होने से रोकने के लिये ठोस कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। वे इसे नियम-58 में अग्राह्यता पर सुन लेंगे।

सभापति, प्रवर समिति ने उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2014 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य द्वारा विधान सभा, ''जनपद बागेश्वर के जनता पूर्व जूनियर हाईस्कूल भिटारकोट को सवित्त मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में'' श्री देवीदत्त पाठक, निवासी-ग्राम थाकला, पो0-बन्तोली, जनपद- बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत स्थान नैनीसैंण में एक ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री गबर सिंह नेगी, निवासी ग्राम खत्याड़ी, पो0 नैनीसैंण, जनपद-चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण स्थान नन्दासैंण में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री राजेन्द्र सिंह रावत, निवासी-ग्राम माथर, पो0 देवलकोट, जनपद-चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग में स्नातकोत्तर स्तर पर गणित और भौतिक विषय खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री हरीश चौहान, निवासी-प्रेम नगर, कर्णप्रयाग, जनपद-चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के स्थान गौचर में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री विजय प्रसाद डिमरी, निवासी-ग्राम सैल, पो0-गौचर, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में पिण्डर नदी के दोनों तरफ सुभाष-नगर से कर्ण मन्दिर तक बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबंधों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री हरीश सती, निवासी-सुभाषनगर, कर्णप्रयाग, जनपद-चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

डा0 जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैण डिग्री कालेज में विज्ञान संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय विषय खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री पूरण सिंह नेगी, निवासी-ग्राम व पो0- गैरसैंण, जनपद-चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम मांडूवाला, लोअर कण्डौली, कॉसवाली के आवागमन हेतु मार्ग एवं पुल के निर्माण कराने के सम्बन्ध में'' श्री हरनाम सिंह, निवासी-ग्राम मांडूवाला, लोअर कण्डौली, कॉसवाली, विकास खण्ड सहसपुर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर के ग्राम ढलानी के मुख्य मार्ग ढलानी लोअर की दयनीय स्थिति के सुधार कराने के सम्बन्ध में'' श्री मगन लाल, निवासी-ग्राम ढलानी, विकास खण्ड-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा 'जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर मिसरास से ग्राम डूंगा कच्चे मार्ग की दयनीय स्थिति का सुधार कराने के सम्बन्ध में'' श्री दीवान सिंह, निवासी-ग्राम मिसरास, विकास खण्ड-सहसपुर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के कठपुड़ियाछीना काफलीगैर में खाद्य गोदाम खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री नवीन चन्द्र, निवासी- ग्राम बिलोरी, पो0-काफलीगैर, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा खोली, मजबे, डुगरगांव के स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बम्ध मे'' श्री नन्दन सिंह रावत, निवासी-ग्राम अमतौड़ा, पो0 क्वैराली, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के राजकीय इण्टर कालेज कांडा में लम्बे समय से रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में'' श्री जीवन लाल वर्मा, निवासी-ग्राम सुनारगांव, पो0 कांडा, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के राजकीय इण्टर कालेज कांडा में पेयजल आपूर्ति के सम्बम्ध में'' श्री जीवन लाल वर्मा, निवासी-ग्राम सुनारगांव, पो0 कांडा, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि दिनांक 21 जनवरी, 2014 के उपवेशन में श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा प्रदेश में आयी भीषण आपदा के सम्बन्ध में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को पीठ से दिये गये निदेशों का सरकार द्वारा पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम-299 के आलोक में मै, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि औचित्य का प्रश्न केवल उन्हीं मामलों में उठाया जा सकता है जो प्रक्रिया नियमावली के नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सन्बन्ध में हो। इस प्रकरण में प्रक्रिया नियमावली का कोई नियम या संविधान का कोई ऐसा अनुच्छेद अन्तर्ग्रस्त नहीं है एवं इसके साथ ही तत्समय सदन के कार्य से किसी सूचना का भी सम्बन्ध नहीं है। सरकार द्वारा 21 जनवरी,2014 को जो वक्तव्य सदन में दिया गया है वह यद्यपि लघुकालिक और दीर्घकालिक प्रकृति के लिये गये निर्णयों के आधार पर है, लेकिन विषय की महत्ता एवं व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए अब तक सरकार द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्व में मेरे द्वारा दिये गये निदेशों के आलोक में एक सम्यक व्याख्यात्मक विवरण जिसमें सरकार द्वारा किये गये कार्यो का भौतिक एवं वित्तीय दृष्टिकोण से भी समावेशन हो, सदन को उपलब्ध कराया जाना सुस्पष्टता की दृष्टि से अभी वांछनीय है।

अतः मैं उपरोक्त पुनर्निदेशों के साथ औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिनमें से निम्नलिखित सूचनाएं ग्राह्यता पर सुनने हेतु स्वीकार हुईः-

विधान सभा क्षेत्र पुरोला अन्तर्गत वन विभाग की सड़क पुरौला- नौरी -व्याली- बडियार सड़क को लोक निर्माण विभाग को स्थान्तरित किए जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री माल चन्द, माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए, संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद देहरादून में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 की दिन दहाड़े श्री सत्येन्द्र चौधरी की पत्नी श्रीमती नीरू की निर्मम हत्या की जाँच सी0बी0आई0 को सौपे जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए, संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद उधमसिंह नगर स्थित पं0 गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ढाई वर्षो से रिक्त स्थायी रूप से कुलपति की नियुक्ति न होने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री राजेश शुक्ला, माननीय सदस्य व माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किए, कृषि मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में झीलों के निर्माण कार्यो के कार्य अपूर्ण होने विषयक सूचना पर श्री पूरन सिंह फर्त्याल, माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए, पर्यटन मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद देहरादून अन्तर्गत ग्राम तरला नागल, परगना परवादून सिटी पार्क हेतु आरक्षित भूमि को खुर्द-बुर्द व भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने विषयक नियम-310 की सूचना को नियम-58 में ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक, माननीय सदस्य व माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किए, संसदीय कार्य मंत्री व नेता सदन को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

पंचायत चुनाव से पूर्व परिसीमन कराये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री विशन सिंह चुफाल एवं श्री हेमेश खर्कवाल माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए, संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 02:00 बजे भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।

03:00 बजे मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का समय 03 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

03 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 14229219 हजार (रूपये एक हजार चार सौ बाईस करोड़ बयानवे लाख उन्नीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-12 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

निम्नांकित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किएः-

श्री मदन कौशिक,
श्री हरभजन सिंह चीमा,
श्री संजय गुप्ता,
श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल,
श्री आदेश चौहान तथा
श्री अजय भट्ट माननीय नेता प्रतिपक्ष।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-12 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(2) ग्राम्य विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 10755250 हजार (रूपये एक हजार पचहत्तर करोड़ बावन लाख पचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-19 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

ग्राम्य विकास मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-19 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(3) खाद्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2331196 हजार (रूपये दो सौ तैंतीस करोड़ ग्यारह लाख छियानबे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-25 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

खाद्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-25 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(4) पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1652566 हजार (रूपये एक सौ पैंसठ करोड़ पच्चीस लाख छियासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-26 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

श्री अजय भट्ट माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किए

पर्यटन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-26 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(5) उद्यान मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1296072 हजार (रूपये एक सौ उन्तीस करोड़ साठ लाख बहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय सदस्य श्री अजय टम्टा ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-29 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

उद्यान मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री अजय टम्टा द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-29 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(6) शिक्षा मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 53088303 हजार (रूपये पांच हजार तीन सौ आठ करोड़ तिरासी लाख तीन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय सदस्य श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-11 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

श्री गणेश गोदियाल माननीय सदस्य ने भी अपने विचार रखे।

शिक्षा मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-11 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(7) नगर विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 13551968 हजार (रूपये एक हजार तीन सौ पचपन करोड़ उन्नीस लाख अड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-13 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

नगर विकास मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री अजय टम्टा द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-13 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

(8) कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 5243884 हजार (रूपये पांच सौ चौबीस करोड़ अड़तीस लाख चौरासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय सदस्य, श्री हरभजन सिंह चीमा ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-17 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

श्री अजय भट्ट, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार रखे।

कृषि मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-17 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

आज नियम-53 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्याल्दे एवं मानिला महाविद्यालयों को पूर्ण पी0जी0 की मान्यता देने की माँग के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, माननीय सदस्य की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा,

जिला हरिद्वार में जिला अस्पताल/मेला अस्पताल में डाक्टरों की कमी के कारण मरीजों को होने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, माननीय सदस्य की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत चैतुआखेड़ा से ज्ञानपुर गौढ़ी मार्ग तथा निहाई नदी एवं चैतुआखेड़ा-देवीपुर मार्ग पर बरसाती नाले पर पुल के निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री प्रेम सिंह राना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया तथा,

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत रा0इ0का0 जौरासी की अनदेखी से व्याप्त असंतोष के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 08 बजकर 03 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(गोविन्द सिंह कुंजवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।